सूची – XIV फारम सं० 562

आदेश फलक

आदेश की क्रम सं० और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर **Jamb. 07 / 2024-25**	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिपण्णी, तारीख सहित
05.12.2024	ऑनलाइन **नामांतरण वाद संख्या** **28 / 2024—2025** आदेश अभिलेख उपस्थाति। ऑनलाइन नामांतरण वाद सं० 28 / 2024—25 में बिक्री केवाला सं० 1250 दिनांकः 02 / 04 / 1980 के द्वारा क्रेता स्व० प्रताप चन्द्र गोवाला के पुत्र मोहन चन्द्र प्रधान, मौजा कंटामनी, थाना मझगाँव, जिला पश्चिमी सिंहभूम ने मौजा कंटामनी, खाता सं० 69 प्लाट सं० 365 रकवा 0.06 ए०, खाता सं० 70 प्लाट सं० 336 रकवा 0.12 ए०, खाता सं० 72 प्लाट सं० 549 रकवा 0.21 ए० का नामांतरण हेतु आवेदन किया है। उक्त नामांतरण आवेदन पर विक्रेता स्व० दिल महमद पिता— स्व० अब्दुल राहिम ग्राम + थाना— मझगाँव जिला— पश्चिमी सिंहभूम के पुत्र दिलवर हुसैन अंसारी ने आपत्ति किया है। आपत्ति के आलोक में आवेदक मोहन प्रधान पिता— स्व० प्रताप चन्द्र गोवाला (क्रेता) एवं आपत्तिकर्ता दिलवर हुसैन अंसारी, पिता— स्व० दिल महमद (दिल अहमद, विक्रेता) को नोटिस निर्गत कर सुना गया। आवेदक मोहन प्रधान का कहना है कि बिक्री केवाला सं० 1250, दिनांक 02 / 04 / 1980 के द्वारा मौजा कंटामनी, खाता 69 प्लाट सं 365 रकवा 0.06 ए०, खाता सं० 70 प्लाट सं० 336 रकवा 0.12 ए० और खाता न० 72 प्लाट सं० 549 रकवा 0.21 ए० जमीन पिता— प्रताप चन्द्र गोवाला खरीदें हैं। विक्रेता दिल महमद, पिता— अब्दुल रहीम, ग्राम— मझगाँव से खरीदा है। पिता की मृत्यु 2016 में हुई है। जानकारी नहीं रहने के कारण नामांतरण नहीं कराये। आवेदित भूमि में धान खेत है। खाता सं 70, प्लाट सं 336, रकवा 0.12 ए० पर धान की खेती किये हैं। प्लाट सं 365 रकवा 0.60 ए० परती है। बीते 8 वर्ष से खेती नहीं किये हैं। प्लाट सं० 549 रकवा 0.21 ए० भूमि का जानकारी नहीं है। इसलिए उन पर खेती कभी नहीं किया है। आपत्तिकर्ता के आपत्ति पर आवेदक का कहना है कि प्लाट सं० 365, 549 का म्युटेशन किया जाये। आपत्तिकर्ता दिलवर हुसैन अंसारी का कहना है कि प्लाट सं 336 रकवा 0.12 ए० जमीन पिता— दिल महमद ने प्रताप चन्द्र ग्वाला को खेती—बारी करने के लिए दिया था। उस पर प्रताप चन्द्र ग्वाला और उसके बाद उसका पुत्र मोहन प्रधान खेती करते आ रहा है। पिता दिल महमद ने उक्त 12 डिसमिल का केवाला बिक्री किया है। शेष प्लाट सं 365, 549 उनका है जिसका बिक्री नहीं किया गया है। उक्त दोनों प्लाट वर्तमान में परती है। आपत्तिकर्ता का यह भी कहना है कि खाता सं० 70 प्लाट सं० 336 रकवा 0.12 ए० का म्युटेशन पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु अन्य	

दो प्लाट 365 और 549 रकवा क्रमशः 0.06 ए० एवं 0.21 ए० का म्युटेशन नहीं किया जाये।

राजस्व उप निरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा कंटामनी थाना सं 363, खाता सं 69 प्लाट सं 365 रकवा 0.06 ए० एवं खाता सं० 72 प्लाट सं 549 रकवा 0.21 ए० में आवेदक का दखल अपूर्ण है और आवेदित खाता सं० 70 प्लाट सं 336 रकवा 0.12 ए० का ऑनलाइन पंजी II से जांच किया पाया कि खाता सं 158, प्लाट सं० 336, रकवा 0.06 ए० होरसी ग्वाला, पिता कुरसो ग्वाला के नाम दर्ज है जबकि खाता सं० 70, प्लाट सं० 366, रकवा 0.12 ए० दिल महमद पिता– अब्दुल रहीम के नाम से दर्ज है। बिक्री केवाला में लिखित खाता संख्या, प्लाट संख्या एवं रकवा ऑनलाइन पंजी II में विसंगति है। अतः आवेदित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया जा सकता है।

05.12.2024	उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि आपत्तिकर्ता ने प्लाट सं 336, रकवा 0.12 ए० के नामांतरण पर सहमती जताया है किन्तु राजस्व उप निरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक ने प्रतिवेदित किया है कि खाता सं० 70, प्लाट सं 336, रकवा 0.12 ए० का ऑनलाइन पंजी II से जांच किया तो पाया कि खाता सं 158, प्लाट सं० 336, रकवा 0.06 ए० होरसी ग्वाला, पिता– कुरसो ग्वाला के नाम दर्ज है जबकि खाता सं० 70, प्लाट सं० 366, रकवा 0.12 ए० दिल महमद पिता– अब्दुल रहीम के नाम से दर्ज है। बिकी केवाला में दर्ज खाता, प्लाट, की भूमि और ऑनलाइन पंजी II में दर्ज उक्त भूमि की विवरणी में गंभीर विसंगति है। साथ ही, आपत्तिकर्ता ने प्लाट सं० 365, 549 को बिक्री नहीं होने की बात कहकर नामांतरण का विरोध किया है और उक्त भूमि को वर्तमान में परती बताया है। आवेदक का प्लाट सं 365 एवं 549 पर दखल कब्जा नहीं है।

अतः राजस्व उप निरिक्षक एवं अंचल निरीक्षक के प्रतिवेदन तथा अनुशंसा एवं उपरोक्त तथ्यों के आलोक में आवेदित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया जाता है। यह आदेश पूर्णतः अपीलीय है। संबंधित पक्ष सक्षम न्यायालय जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

लेखापित एवं संशोधित
05/12/24
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।

05/12/24
अंचल अधिकारी,
मझगाँव।

Digitally signed by VIJOY HEMRAJ XALXO
Date: 2024.12.10 17:05:28 +05:30
Location: 192.168.81.225